

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, सोमवार, 26 मई, 2025

ज्येष्ट 5, 1947 शक सम्वत्

## उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग–1

संख्या 66 / 79-वि-1—2025-2-क-3-2025 लखनऊ, 26 मई, 2025

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2025) जिससे धर्मार्थ कार्य विभाग प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है, जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2025)

[भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

#### अध्यादेश

उत्तर प्रदेश में श्री बांके बिहारी जी मंदिर, वृंदावन, मथुरा के सुव्यवस्थित प्रबंधन तथा श्रद्धालुओं के विशाल जनसमूह को आवासन एवं सुविधाएं प्रदान करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिए

चूँकि, राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना

- 1—(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मन्दिर न्यास अध्यादेश, 2025 कहा जायेगा।
- (2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा, जैसा राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करे।
  - (3) यह उत्तर प्रदेश में श्री बांके बिहारी जी मंदिर, वृन्दावन, मथुरा पर लागू होगा। 2—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्यादेश में—
  - (क) ''नियत दिनांक'' का तात्पर्य ऐसे दिनांक से है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें;
  - (ख) "अर्चक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो मन्दिर में किसी पूजा, सेवा, कर्मकांड या अन्य धार्मिक अनुष्ठान का सम्पादन या संचालन करता है और उसमें पुजारी और सेवायत सम्मिलत हैं;
    - (ग) "बोर्ड" का तात्पर्य धारा 5 के अधीन गठित "न्यासी बोर्ड" से है;
  - (घ) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य धारा 12 के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है;
  - (ङ) ''विन्यास'' का तात्पर्य समस्त स्थावर या जंगम सम्पत्ति से है जो मन्दिर से सम्बन्धित हो या मन्दिर के समर्थन या अनुरक्षण या सुधार के लिये या मन्दिर में किसी पूजा, सेवा, कर्मकांड, समारोह या अन्य धार्मिक अनुष्ठान के लिये या उससे सम्बन्धित किसी दान के लिए दी या अर्पित की गयी हो और उसमें मन्दिर में स्थापित मूर्तियाँ, मन्दिर का परिसर और मन्दिर की प्रसीमा के भीतर किसी व्यक्ति को उसमें प्रतिष्ठित देवताओं के लिये दिया गया या देने के लिए आशयित सम्पत्ति का उपहार भी सम्मिलित है;
  - (च) ''कार्यकारी समिति'' का तात्पर्य धारा 12 के अधीन गठित कार्यकारी समिति से है:
  - (छ) 'धर्मार्थ अर्पण' का तात्पर्य मन्दिर की प्रसीमा के भीतर या अन्यथा, नकद या वस्तु के रूप में ऐसे अर्पण से है, जो मन्दिर में किसी पूजा, सेवा, कर्मकांड, समारोह या धार्मिक अनुष्ठान के सम्पादन या संचालन से सम्बद्ध हों और उसमें मन्दिर में इस प्रकार उपयोग करने हेतु अर्पण के रूप में आशयित या अभिप्रेत डाक या तार से भेजा गया धन या चेक या बैंक ड्राफ्ट सम्मिलित है;
  - (ज) "मन्दिर" का तात्पर्य मथुरा नगर में स्थित "श्री बांके बिहारी जी मन्दिर" से है, जो हिन्दुओं द्वारा सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप में उपयोग में लाया जाता है और हिन्दुओं को समर्पित है या हिन्दुओं की प्रसुविधा हेतु है या हिन्दुओं द्वारा अधिकार के रूप में उपयोग में लाया जाता है और उसमें समस्त अधीनस्थं मन्दिर, पूजा स्थल, गौण पूजा स्थल और समस्त अन्य प्रतिमाओं और देवताओं के स्थान मंडप, कूप, जलाशय और अन्य आवश्यक संरचनाएं और उससे अनुलग्न भूमि और परिवर्धन जो नियत दिनांक के पश्चात् किये जाये, सिम्मिलत है;
  - (झ) "न्यास निधि" का तात्पर्य धारा 9 के अधीन गठित न्यास निधि से है; 3–(1) नाम–

(एक) न्यास को ''श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास'' कहा जायेगा। (2) कार्यालय–

- (एक) न्यासी अपनी प्रथम बैठक में न्यास के स्थायी कार्यालय की पहचान व निर्धारण पर विचार—विमर्श करेंगे।
- (दो) स्थायी कार्यालय, समय—समय पर ऐसे अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा जैसा न्यासियों द्वारा एक सामान्य बोर्ड प्रस्तााव के माध्यम से विनिश्चय किया जाय।

(3) प्रकृति-

(एक) एतद्दवारा निर्मित न्यास अप्रतिसंहरणीय होगा।

4-यह न्यास निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्थापित किया गया है; अर्थात्:-

(एक) यथासम्भव स्वामी हरिदास के समय से चले आ रहे रीति—रिवाजों, परम्पराओं, त्यौहार—समारोहों, व्रत एवं अनुष्टानों के अनुरूप बिना किसी हस्तक्षेप या परिवर्तन के मन्दिर में पीठासीन देवता तथा अन्य देवताओं की पूजा, अर्चना एवं पद्धतियों की निर्वाध निरन्तरता सुनिश्चित करना। तथापि, इस खण्ड में कोई भी बात दर्शन का समय निर्धारित करना, पुजारियों की नियुक्ति करना, उनके वेतन, उपलब्धियाँ एवं प्रतिकर निर्धारित करना अथवा भक्तों एवं आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उपाय किया जाना, नहीं रोकेगी;

परिभाषाएँ

न्यास

न्यास के उद्देश्य एवं अभिप्राय (दो) उपरोक्त उद्देश्य के अनुरूप मंदिर का प्रभावी प्रशासन एवं प्रबंधन संचालित करनाः

(तीन) दर्शन हेतु सुरक्षित व सुलभ पहुँच सुनिश्चित कर श्रद्धालुओं को निर्बाध, निरापद दर्शन का अनुभव प्राप्त करवाने का प्रयास करना और उसके लिए आवश्यक समस्त वस्तुएं उपलब्ध कराना;

(चार) तीर्थयात्रियों, श्रद्धालुओं एवं आगंतुकों हेतु विश्वस्तरीय सुख-सुविधाएं सुनिश्चित करना, जिसमें प्रसाद वितरण हेतु उपयुक्त एवं अभिहित स्थान, विरष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों के लिए पहुँच सुविधाओं में सुधार, पेयजल वितरक, विश्राम हेतु बेंच एवं बूथ, कम्प्यूटरीकृत पहुँच एवं कतार प्रबंधन कियोस्क, गौशालाएँ, अन्नक्षेत्र, रसोईघर, विश्राम एवं यात्रागृह, होटल और सराय, प्रदर्शनी कक्ष, भोजनालय, प्रतीक्षालय तथा अन्य ऐसी संरचनाएं, सुविधाएं एवं सुख-सुविधाएँ, जो समय-समय पर उपयुक्त एवं उचित समझी जाएं, का उपबन्ध सम्मिलित है, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(पाँच) ख्यातिप्राप्त पुरातत्त्व विशेषज्ञों, अभियंताओं, वास्तुविदों एवं प्रतिष्ठित संस्थाओं के परामर्श, सर्वेक्षण एवं नियोजन के माध्यम से तथा इतिहासकारों एवं जीणींद्धार अभिकरणों, जो कालांतर में मन्दिर का पिरिक्षण सुनिश्चित करने व आने वाली पीढ़ियों की प्रसुविधा हेतु मरम्मत व जीणींद्धार कर सके, के अग्रतर नियोजन से मन्दिर की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करना, की सहायता से आवश्यक मरम्मत एवं संरक्षण कार्य कराना जिससे मंदिर की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके।

(छः) मन्दिर के प्रबन्धन में वित्तीय पारदर्शिता व जन—विश्वास सुनिश्चित करने के लिए समुचित बहीखाता तथा अभिलेखों का अनुरक्षण सुनिश्चित कर वर्तमान या भविष्य में देवता और/या मन्दिर में निहित, या उनके नाम से और/या उनके अथवा मन्दिर की प्रसुविधा हेतु धारित स्थावर या जंगम समस्त धनराशियों, निधियों, मूल्यंवान परिसम्पत्तियों, जमाराशियों, आभूषणों, दानराशियों, जिस नाम से भी कहा जाय, का प्रबन्धन करना, जिसमें अनुदान, चन्दा , अंशदान, हुण्डी संग्रह, दान, चढ़ावा, नजर, दक्षिणा, अर्पण, उपहार, भेंट तथा सम्पत्ति सम्मिलित है किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं है;

(सात) तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, विधि एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा आस—पास के क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास हेतु स्वयं एवं नियुक्त बोर्ड के माध्यम से सरकारी अभिकरणों एवं स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय एवं सहयोग करना।

(आठ) मंदिर के प्रशासन, प्रबंधन, अनुरक्षण तथा तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु सहायक एवं आनुषंगिक सभी प्रकार के कार्य करना। 5—(1) नियक्ति, गठन एवं कार्यकाल—

न्यासी बोर्ड

- (एक) न्यासी बोर्ड (''बोर्ड'') के न्यासियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी:
- (दो) बोर्ड में दो प्रकार के न्यासी होंगे अर्थात् नामनिर्दिष्ट न्यासी एवं पदेन न्यासी;
- (तीन) नामनिर्दिष्ट न्यासी कुल ग्यारह (11) व्यक्ति होंगे, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—
  - (क) वैष्णव परंपराओं, संप्रदायों अथवा पीठों से संबंधित तीन (3) प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनमें संत, मुनि, गुरु, विद्वान, मठाधीश, महंत, आचार्य, स्वामी आदि सम्मिलित हो सकते हैं:
  - (ख) सनातन धर्म की अन्य परंपराओं, संप्रदायों अथवा पीठों से संबंधित तीन (3) प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनमें संत, मुनि, गुरु, विद्वान, मठाधीश, महंत, आचार्य, स्वामी आदि सम्मिलित हो सकते हैं;
  - (ग) सनातन धर्म की किसी भी शाखा या सम्प्रदाय से संबंधित ऐसे तीन (3) प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो किसी भी क्षेत्र जैसे शिक्षाविद्, विद्वान, उद्यमी, वृत्तिक, समाजसेवी आदि से हों किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे;
  - (घ) मंदिर में सेवारत गोस्वामी परंपरा से दो (2) सदस्य, जो स्वामी श्री हिरिदास जी के वंशज हों इनमें एक राज—भोग सेवायतों का प्रतिनिधित्व करेगा एवं दूसरा शयन—भोग सेवायतों का इनकी नियुक्ति इस प्रयोजनार्थ प्राप्त नामांकनों के आधार पर की जाएगी।

- (चार) पदेन न्यासियों की संख्या सात (7) से अधिक नहीं होगी और इनमें निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित होंगे; अर्थात्:—
  - (क) जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा;
  - (ख) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा;
  - (ग) नगर आयुक्त, मथुरा;
  - (घ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद;
  - (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मार्थ कार्य विभाग का एक अधिकारी;
  - (च) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री बांके बिहारी जी मन्दिर ट्रस्ट;
  - (छ) राज्य सरकार द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियुक्त किया गया अन्य कोई सदस्य, जिसकी नियुक्ति समीचीन समझी जाए।
- (पॉच) नामनिर्दिष्ट न्यासियों का कार्यकाल उनके त्यागपत्र या मृत्यु के अध्यधीन तीन वर्षों का होगा और कोई न्यासी अनुक्रमशः नियुक्त नहीं किया जा सकेगा तथा कोई न्यासी दो बार से अधिक नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
- (छः) पदेन ट्रस्टी अपने पद के आधार पर न्यासी रहेंगे और पद की अवधि तक सदस्य रहेंगे।
- (सात) सभी न्यासी हिंदू होंगे तथा सनातन धर्म को मानने वाले होंगे। कोई भी गैर-हिंदू व्यक्ति नामनिर्दिष्ट न्यासी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। जहां पदेन न्यासी के रूप में नियुक्त व्यक्ति सनातन धर्म से सम्बन्धित नहीं हो / हिन्दू के रूप में नहीं परिलक्षित हो या जहाँ हिन्दू के रूप में परिलक्षित हो किन्तु अपने व्यक्तिगत विश्वासों के कारण न्यासी का दायित्व निभाने में असमर्थ हो, ऐसी स्थिति में उस नियुक्त व्यक्ति से कनिष्ठ व्यक्ति को नियुक्त किया जायेगा।
- (आठ) ऐसा कोई व्यक्ति जो विधि न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराया गया हो, बोर्ड में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
- (नौ) किसी भी व्यक्ति को उसके / उसकी जाति या लिंग के आधार पर नियुक्त होने से अनर्ह नहीं किया जाएगा।
- (दस) मृत्यु, त्याग-पत्र अथवा अन्य किसी कारण से रिक्ति होने पर न्यासी बोर्ड में किसी नये सदस्य की नियुक्ति की जानी हो, तो नये सदस्य का चयन, न्यासी बोर्ड के अन्य सदस्यों द्वारा बहुमत से किया जायेगा।
- 6-(1) बोर्ड के सभी नामनिर्दिष्ट सदस्यों के पास एक (1) मत होगा।
- (2) बोर्ड के पदेन सदस्यों को कोई मत देने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन वे बोर्ड के विचार-विमर्श में भाग लेने और राय व्यक्त करने के हकदार होंगे;
- (3) बोर्ड की गणपूर्ति कम से कम सात (7) सदस्यों से होगी जिसमें कम से कम पांच नामनिर्दिष्ट सदस्य और दो पदेन सदस्य सम्मिलत होंगे;
- (4) बोर्ड प्रत्येक तीन (3) माह में एक बार बैठक करेगा तथा अन्य समय और आवृत्ति पर भी बैठक करेगा, जैसा कि बोर्ड आवश्यक समझे;
- (5) बैठकों के आयोजन के लिए अधिसूचना के दिनांक से पंद्रह दिन का नोटिस आवश्यक होगा। हालांकि, बोर्ड द्वारा नियमों के माध्यम से अवधारित तरीके से समय की किसी भी आवश्यकता को समाप्त करते हुए आपातकालीन बैठक आयोजित की जा सकती है।
- (6) बोर्ड के सभी संकल्प साधारण बहुमत से पारित किए जाएंगे, जब तक कि इस अध्यादेश के अधीन कुछ विषयों के संबंध में विशेष बहुमत से पारित करना अपेक्षित न हो;
- (7) बोर्ड अपनी प्रथम बैठक में तथा उसके पश्चात् समय—समय पर रिक्त होने पर अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष तथा ऐसे पदाधिकारियों और समितियों तथा उप—समितियों की नियुक्ति करेगा, जो तब तक पद पर बने रहेंगे, जब तक वे बोर्ड के सदस्य के रूप में प्रविरत नहीं हो जाते अथवा बोर्ड के कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्यों की उपस्थिति तथा मतदान के प्रस्ताव द्वारा हटा नहीं दिए जाते।
- (8) बोर्ड के सदस्य केवल ऐसे धनराशि, स्टॉक, शेयर, प्रतिभूतियाँ और निधियों के लिए उत्तरदायी और जवाबदेह होंगे जो वास्तव में उनके हाथों में आते हैं या उनके द्वारा सौंपे गए या निष्पादित किए गए कार्य सम्बन्धित हों। न्यासी, अन्य न्यासियों या किसी अन्य व्यक्ति की उपेक्षा, लोप, कार्य या चूक के लिए उत्तरदायी या जवाबदेह नहीं होगा, जिसके पास न्यास की संपत्ति या कोई प्रतिभृति जमा या रखी गई हो।
- (9) बोर्ड या उसके किसी भी सदस्य को सद्भावनापूर्वक किए गए किसी भी निर्णय या कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

बोर्ड का कार्य

7—(1) विनिर्दिष्ट उद्देश्यों में से किसी एक या अधिक या सभी को कार्यान्वित करना जिसके लिए उन्हें आवश्यक शक्तियां प्राप्त मानी जाती हैं। पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता के बिना बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा—

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य

- (क) श्री बांके बिहारी जी और मंदिर तथा उसके भक्तों और आगंतुकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए प्रशासनिक, प्रबंधकीय, पर्यवेक्षी और सभी आवश्यक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा;
- (ख) किसी भी रसीद को स्वीकार करने, व्यय को प्राधिकृत करने और निवेश का प्रबंधन करने सहित न्यास निधि का प्रबंधन करना;
- (ग) पीठासीन देवता, मंदिर और / या न्यास के नाम पर किसी भी चल और अचल संपत्ति की स्वीकृति या प्राप्ति को प्राधिकृत करना;
- (घ) बैंकों या वित्तीय साधनों और प्रतिभूतियों या व्युत्पन्न और द्वितीयक में निवेश या जमा करना और उनके लाभ और आय को पीठासीन देवता, मंदिर और / या न्यास के नाम और लाभ के लिए प्राप्त करना और उन्हें संचालित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करना;
- (ड.) भुगतान स्वीकार करना या करना, दस्तावेजों या दावों पर बातचीत करना, और रसीदें, डिस्चार्ज और सेटऑफ जारी करना;
  - (च) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से स्रक्षित ऋण, प्रभार, बिल्लंगम लेना;
- (छ) बीस लाख रूपये (रू० 20,00,000/—) तक की चल एवं अचल सम्पत्ति खरीदना, किराये पर लेना या पट्टे पर लेना और जहाँ ऐसी धनराशि बीस लाख रूपये (रू० 20,00,000/—) से अधिक हो तो राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऐसा करना;
- (ज) तृतीय पक्ष और सरकारी प्राधिकरणों को सम्मिलित करते हुए किसी अन्य के विरूद्ध मुकदमा, मध्यस्थता, विवाद या किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही संस्थित करना, प्रतिवाद करना, प्रतिवाद करना, प्रतिवाद करना, प्रतिवाद करना, प्रतिक्षा करना, परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए वकीलों की नियुक्ति करना और उपर्युक्तं किसी भी मामले का प्रशमन या निपटारा करने की शक्ति होना;
- (झ) चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत विश्लेषक, वित्तीय सलाहकार, कंपनी सचिव, लेखा एवं ऑडिट फर्मों की नियुक्ति;
- (ञ) पुजारियों, सेवायतों, अर्चकों के पद, उत्तरदायित्वों, कर्तव्यों का अवधारण तथा प्ररूपण, उनका रोस्टर, अर्हता तथा अनर्हता अवधारित करना, धारा 4 (एक) और (दो) को संज्ञान में रखते हुए यथा विनिश्चित ऐसे परिलब्धियों का संदाय और लामों को प्रदान करना;
- (ट) ऐसे पदाधिकारियों, कर्मचारियों को नियुक्तं करना, चाहे वे स्थायी हों या अस्थायी और उनका वेतन परिलक्षियां, प्रतिकर और सेवा शर्तें निर्धारित करना मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यकारी समिति के निकट सहयोग में कार्य करना, जो बोर्ड के अनुदेशों और प्रस्तावों का पालन करेंगे तथा उन्हें लागू करेंगे;
- (ठ) अन्य सभी कार्य, विलेख, मामले और चींजे करना जिन्हें न्यास के उद्देश्यों को पूरा करने और उसके प्रशासन के लिए आवश्यक समझा जाए;
- (ड) उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक, एक या अधिक कृत्यों को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पदाधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित करना;
- (ढ) बोर्ड के कामकाज, किसी शक्ति या कृत्यों के निर्वहन या प्रयोग के तरीके और प्राविधि, या मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े किसी अन्य मामले या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए नियम बनाना।
- (2) श्री बांके बिहारी जी के देवता और मंदिर परिसर या श्री बांके बिहारी जी के आभूषणों में किसी भी प्रकार का किसी तीसरे पक्ष का अधिकार सृजित नहीं किया जा सकता है। बोर्ड राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद देवता, मंदिर और ट्रस्ट की किसी अन्य चल या अचल संपत्ति के संबंध में विक्रय करने, उपहार देने, विनिमय करने, पृथक करने, किराए या पट्टे पर देने, बंधक रखने, जमानत देने या किसी भी प्रकार का किसी तीसरे पक्ष का अधिकार सृजित करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है।
- (3) बोर्ड को न्यास के निष्पादन में होने वाली सभी हानियों और देनदारियों के लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी। बोर्ड का कोई भी सदस्य किसी भी हानि या व्यय के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी या जिम्मेदार नहीं होगा, यदि कार्य सद्भावनापूर्वक किया जाता है।

(4) बोर्ड किसी भी तरह से न्यास के उद्देश्यों के साथ असंगत कार्य नहीं करेगा और न्यास के उपबंधों और प्रवृत्त विधि के विरुद्ध कोई भी शक्ति नहीं होगी ।

बोर्ड का हकदारी

- 8—(1) कोई भी ट्रस्टी (न्यासी), ट्रस्टी (न्यासी) के रूप में अपनी नियुक्ति के कारण किसी भी वेतन या वेतनमान का हकदार नहीं होगा, लेकिन उप—धारा (2) और (3) में विनिर्दिष्ट व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होगा।
- (2) ट्रस्टियों (न्यासियों) को बोर्ड द्वारा अनुसमर्थन के परिणामस्वरूप ट्रस्ट के कृत्यों के निर्वहन या लाभ के लिए किए गए किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- (3) ट्रस्टियों (न्यासियों) को दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता और बैठकों में भाग लेने के लिए भोजन और आवास के लिए भत्ता दिया जाएगा या जहां बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने या बोर्ड के किसी कृत्य को पूरा करने के लिए यात्रा की जाती हो।

वित्तीय मामले और न्यास की सम्पत्तियां

- 9-(1) न्यास संपत्तियां और निधियां :
- (एक) संपूर्ण न्यास संपत्तियां और निधियां चाहे विद्यमान हो या भविष्य में प्राप्त हों, मंदिर के प्रमुख देवता श्री बांके बिहारी जी के लिए न्यास में रखी गई मानी जाएंगी (ट्रस्ट फंड);
- (दो) न्यास की सम्पत्तियों में श्री बांके बिहारी जी मन्दिर की सभी वर्तमान चल और अचल सम्पत्तियां सिम्मिलित होंगी। यदि कोई व्यक्ति देवता, मन्दिर या मन्दिर बनाए गये भूमि पर दावा करता है, तो न्यास के पास विवाद को समझौते या बातचीत या मुकदमेबाजी और मध्यस्थता सिहत विधि द्वारा अनुमत किसी अन्य तरीके से और राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण करने का अनुरोध करके विवाद का अवधारण करने का अधिकार होगा।
- (तीन) श्री बांके बिहारी जी की सेवा में उपयोग होने वाले आभूषण, बर्तन, वस्त्र और मूल्यवान वस्तुएं भी इसमें सम्मिलित है।
- (चार) इसमें सभी धनराशि, कोष, मूल्यवान संपत्तियाँ, जमा, आभूषण, दान—चाहे किसी भी नाम से हों—जैसे अनुदान, सदस्यता शुल्क, योगदान, हुंडी संग्रह, दान, चढ़ावा, नजर, दक्षिणा, भेंट, उपहार और चल—अचल संपत्तियाँ सम्मिलित होंगी, जो देवता, मंदिर या उनके लाभ के लिए वर्तमान या भविष्य में स्थापित या रखी गई हों।
- (पांच) न्यास के पास एक मुख्य खाता होगा, परंतु विभिन्न उद्देश्यों और कार्यों के लिए एक या अधिक उप—खाते भी रखे जा सकते हैं।
- (छः) न्यास की कोई भी संपत्ति अन्य संपत्ति में परिवर्तित या बदली जा सकती है, बशर्ते कि वह इस अध्यादेश के उपबन्धों के अनुरूप हो।

10-(एक) न्यास के पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में कम से कम एक स्थायी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट होगा।

लेखा-पुस्तकें, लेखा-परीक्षा एवं वित्तीय देयता का निर्धारण

- (दो) न्यास अपनी सभी संपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय का समुचित और सही लेखा—जोखा रखेंगे तथा प्रत्येक वर्ष मार्च के अन्तिम दिन के लिए आय व व्यय खाता और बैलेंस शीट तैयार करेगा जो लागू लेखांकन मानकों और लागू कर विधियों के अनुसार सख्ती से तैयार किया जायेगा, जिसे नीचे संदर्भित है, के अनुसार अनिवार्य रूप से लेखा परीक्षा किया जायेगा।
- (तीन) प्रत्येक वर्ष के लेखों की लेखा—परीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक फर्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की जायेगी, जिसे बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जायेगा और लेखों को लेखा परीक्षा ट्रस्टियों की बैठक में रखा जायेगा, जो आगामी वर्ष की समाप्ति से पहले आयोजित की जायेगी और बोर्ड द्वारा हस्ताक्षरित भी की जायेगी।
- (चार) यदि किसी भी वित्तीय मामले में खाते में त्रुटि या असंगति पाए जाने या शिकायत प्राप्त होने पर, राज्य सरकार को स्वतंत्र रूप से ट्रस्ट की लेखा पुस्तकों का निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा कराने का अधिकार होगा। यह लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा आवश्यक एवं उपयुक्त समझे गए किसी स्वतंत्र एवं प्रतिष्ठित लेखा परीक्षा फर्म से करायी जा सकती है।

11—(एक) बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रथम बैठक में आगामी वर्ष के लिए बजट <sup>बजट</sup> तैयार करेगा और अनुमोदित करेगा।

(दो) बजट में सीईओ और कार्यकारी समिति के लिए आवश्यक उपबन्ध भी सम्मिलित होंगे।

12-(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति एवं कार्यकाल-

मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यकारी समिति

- (एक) राज्य सरकार न्यास के लिए पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगी।
- (दो) नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज्य सरकार का अधिकारी होगा एवं उसका पद ए०डी०एम० (अपर जिला मजिस्ट्रेट) के पद के समकक्ष या उससे अन्यून होगा।
- (तीन) मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड का पदेन सदस्य होगा और मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा बोर्ड के सदस्य के रूप में अपना पद धारण करेगा (जब तक वह अपने सरकारी पद पर है) जब तक कि उसे इस अध्यादिश के उपबन्धों के अनुसार बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा हटा न दिया जाए।
- (2) भत्तें और सेवा की अन्य शर्तें-

मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ट्रस्टी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में किसी वेतन या भुगतान का अधिकार नहीं होगा, परंतु उसे व्यय प्रतिपूर्ति एवं राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित भत्ते की हकदारी मिलेगी।

- (3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियाँ एवं कर्तव्य-
- (एक) मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड का प्रमुख कार्यपालक अधिकारी होगा और इस अध्यादेश और इसके अधीन बनाए गए नियमों व विनियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्य करेगा और आदेश पारित करेगा।
- (दो) मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस अध्यादेश के उपबन्धों एवं बोर्ड के नियंत्रण के अधीन ट्रस्ट के मामलों और न्यास कोष के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए जिम्मेदार होगा।
- (तीन) मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन व उसके अनुसार निम्नलिखित कार्य करेगाः
  - (क) बोर्ड के निर्णयों और निर्देशों का पालन करेगा।
  - (ख) मंदिर में धार्मिक चढ़ावा के उचित संग्रह, संरक्षण और निपटान का उचित प्रबंध करेगा तथा उनका सही लेखा—जोखा रखेगा।
  - (ग) मंदिर के सभी अभिलेखों, आभूषणों, मूल्यवान वस्तुओं, धनराशि, मूल्यवान प्रतिभूतियों और सम्पत्तियों की सुरक्षा और अनुरक्षण के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना और बोर्ड के निर्देशों / निर्णयों / आदेशों के अनुसार मंदिर देवता, मंदिर और श्रद्धालुओं के लाभ के लिए उनका उचित उपयोग करना;
    - (घ) बोर्ड की कार्यवाही का विवरण रिकॉर्ड करना और बनाए रखना;
  - (ङ) बोर्ड द्वारा सौंपे गए अनुसार न्यास के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखनाः
  - (च) ऐसे सभी कार्य करना जो उसके या बोर्ड के कर्तव्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक हों, जो इस अध्यादेश द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित हों।
- (4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की आपातकालीन शक्तियाँ:
- (एक) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तत्काल और शीघ्र हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली किसी भी आपात स्थिति में, किसी भी कार्य के निष्पादन या किसी भी ऐसी चीज को करने का निर्देश दे सकता है, जो वार्षिक बजट में प्रदान नहीं की गई है या बोर्ड द्वारा निर्देशित नहीं है, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी की राय में मंदिर या उसके बंदोवस्त के संरक्षण के लिए या मंदिर देवता के भक्तों/तीर्थयात्रियों/श्रद्धालुओं/उपासकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा के लिए या मंदिर में पूजा, सेवा, अनुष्ठान, समारोहों के उचित प्रदर्शन के लिए तत्काल आवश्यक है और अग्रतर निर्देश दे सकता है कि ऐसे कार्य के निष्पादन या ऐसी चीज को करने का व्यय का भृगतान न्यास निधि से किया जाएगा;

(दो) जब भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपरोक्त खंड (1) के अधीन कोई कार्रवाई करता है, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड और कार्यकारी समिति को तुरंत की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देगा, साथ ही ऐसी कार्रवाई के कारणों का विवरण भी देगा और उसके बाद बोर्ड, कार्यकारी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, जैसा वह उचित समझे, कार्रवाई करेगा।

राज्य सरकार का अहस्तक्षेप

- 13-(1) मंदिर की धार्मिक एवं पवित्र परंपराओं का हनन न करना-
- (एक) न्यास की स्थापना का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा मंदिर की धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं में हस्तक्षेप करना या उन्हें किसी भी तरह से प्रभावित करना नहीं है, बल्कि संविधान के अधीन नागरिकों के मौलिक अधिकारों के दृष्टिगत उन्हें औपचारिक रूप देना और शाश्वत रूप से संरक्षित करना है;
- (दो) राज्य सरकार अनुच्छेद 19 (1) (6), अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 (यदि लागू हो) के साथ पठित अनुच्छेद 19(1) (क) के अध्यधीन मंदिर के मामलों के किसी भी धार्मिक पहलू में हस्तक्षेप नहीं करेगी।
- (2) राज्य सरकार का उद्देश्य और सीमित प्रकृति:-
- (एक) न्यास का उद्देश्य मंदिर की आस्तियों या संपत्तियों को अपने अधीन करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि चूंकि वे जनता के दान और चढ़ावे से बनी हैं, इसलिए उनके संबंध में वित्तीय पारदर्शिता बनी रहे और व्यय, सर्वाधिक नैतिक, उत्तरदायी और जवाबदेह तरीके से किए जाएं।

न्याास की स्वायत्त प्रकृति

- 14—(1) ट्रस्ट एक स्वायत्त और स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला निकाय होगा और उसे किसी भी मामले में राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी या प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि विशेष रूप से कोई उपबन्ध न किया गया हो।
- (2) बोर्ड के पदेन सदस्यों की नियुक्ति का प्रयोजन नियंत्रण करना नहीं है, बिल्कि बोर्ड के समुचित रूप से कार्य को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासकीय संरेखण, व्यवहारिकता और रचनात्मक राय सुनिश्चित करना है।
- (3) न्यास कोई तकनीकी विशेषज्ञता या लोक प्रशासन में दक्षता वाला निकाय नहीं है और इस रूप में मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यकारी समिति की नियुक्ति करने का प्रयोजन केवल यह सुनिश्चित करना है कि ट्रस्ट के किसी भी विनिश्चय को मन्दिर और लोक प्राधिकारियों के मध्य समन्वय से विधिक, व्यावहारिक, समीचीन और दक्षता से कार्यान्वित किया जाय।
- (4) न्यास वित्तीय रूप से स्वतंत्र है और उच्च मूल्य के लेन—देन और हस्तान्तरण के सम्बन्ध में लेखा—परीक्षा और पूर्व मंजूरी की शक्ति केवल लोगों का विश्वास बनाये रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए रखी गयी है कि कोई कुप्रबन्धन न हो क्योंकि यह अंततः आम जनता का पैसा है जो मन्दिर को दान किया जाता है। राज्य ट्रस्ट से उधार लेने या कोई निधि लेने का हकदार नहीं होगा।

संशोधन

15—बोर्ड के पास बोर्ड का संविधान परिवर्तित किये बिना न्यास के उपबन्ध को परिवर्तित या संशोधित करने की शक्ति होगी और ऐसे परिवर्तन या संशोधन न्यास की मूल संरचना, न्यास के उद्देश्यों के साथ ही पुण्यांर्थ और धार्मिक न्यासों को प्रशासित करने वाले आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों और समस्तं विधियों, जो समय—समय पर लागू होंगी, से असंगत नहीं होंगे।

किनाई दूर करने की शक्ति 16—यदि इस अध्यादेश के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कितनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार इस अध्यादेश के प्रारम्भ से दो वर्ष की अविध के भीतर, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी है जो इस अध्याध्देश के उपबन्धों से असंगत न हो और कितनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

नियमावली बनाने की शक्ति 17-राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियमावली बना सकेगी। 18—इस अध्यादेश और तद्धीन बनाये गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन बोर्ड अपने कारबार के संचालन से सम्बन्धित किसी विषय के लिए या किसी अन्य विषय के लिए जिसके लिए इस अध्यादेश के अधीन विनियमावली बनायी जा सकती है, विनियमावली बना सकेगा।

विनियमावली बनाने की शक्ति

आनन्दीबेन पटेल, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

No. 66(2)/LXXIX-V-1–2025-2-ka-3-2025 Dated Lucknow, May 26, 2025

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shri Bankey Bihari Ji Mandir Nyaas Adhyadesh, 2025 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 3 of 2025) promulgated by the Governor. Dharmarth Karya Vibhag is administratively concerned with the said Ordinance.

# THE UTTAR PRADESH SHRI BANKEY BIHARI JI TEMPLE TRUST ORDINANCE , 2025

(U.P. ORDINANCE NO. 3 OF 2025)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-sixth Year of the Republic of India]

#### AN

### **ORDINANCE**

to provide for the better management of Shri Bankey Bihari Ji Temple, Vrindavan, Mathura in Uttar Pradesh and to provide accommodation and facilities to huge gathering of devotees and for the matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action,

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by clause(1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

- 1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Shri Bankey Bihari Ji Temple Trust Ordinance, 2025.
- (2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.
- (3) It shall apply to Shri Bankey Bihari Ji Temple, Vrindavan, Mathura in Uttar Pradesh.

Short title, commencement and application Definitions

- 2. In this Ordinance, unless the context otherwise requires,-
- (a) "appointed date" means such date as the State Government may by notification, appoint;
- (b) "archaka" means any person who performs or conducts any worship, service, ritual or other religious observances in the Temple and includes a Pujari and sewayats;
  - (c) "Board" means the Board of Trustees constituted under section 5;
- (d) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer appointed under section 12;
- (e) "endowment" means all properties, movable or immovable, belonging to or given or endowed for the support or maintenance or improvement of the Temple or for the performance of any worship service, ritual, ceremony or other religious observance in the Temple or any charity connected therewith and includes the idols installed therein, the premises of the Temple and gifts of property made or intended to be made for the Temple or the deities installed therein to anyone within the precincts of the Temple;
- (f) "Executive Committee" means the Executive Committee constituted under section 12;
- (g) "religious offering" means an offering made within the precincts of the Temple or otherwise, whether in cash or kind, associated with the performance or conduct of any worship, service, ritual, ceremony or religious observance in the Temple and includes postal or telegraphic remittances or cheques or bank drafts intended or meant to be an offering for use as such in the Temple;
- (h) "Temple" means the Temple of Shri Bankey Bihari Ji, situated in the city of Mathura which is used as a place of public religious worship, and dedicated to or for the benefit of or used as of right by the Hindus and includes all subordinate temples, shrines, sub-shrines and the ashthan of all other images and deities, mandaps, wells, tanks and other necessary structures and land appurtenant thereto and additions which may be made thereto after the appointed date;
  - (i) "Trust Fund" means the Trust Fund constituted under section 9.
- 3. (1) Name,-
  - (i) The Trust will be called Shri Bankey Bihari Ji Temple Trust.
- (2) Office,-
- (i) The Trustees shall at their first meeting identify and deliberate upon the permanent office of the Trust.
- (ii) The Permanent Office may be shifted to such other place from time to time as decided by the Trustees by means of an ordinary board resolution.(3) Nature,—
  - (i) The Trust created hereby is irrevocable.
- 4. The trust is settled to obtain and achieve the following objects, namely:-
- (i) to ensure uninterrupted and continuity of the pooja archana and padhithi of the presiding deity and other deities in the temple without any interference or change in line with the customs, traditions of the temple, celebration of festivals, fasts and observances being carried out since the time of Swami Haridas to the maximum extent possible. However, nothing in this clause shall prevent to affix time of darshan, appointment of pujaris and affix their salaries, emoluments and compensation or take any measure to ensure safety of the bhakts and visitors;
- (ii) to carry out effective administration and management of the temple in consonance with the above objective;
- (iii) to strive to achieve a seamless, trouble free darshan experience for the devotee by ensuring, safe and comfortable access to darshan and provide for all things necessary to achieve the same;

Trust

Aims and objectives of the Trust

- (iv) to ensure world class amenities and facilities for pilgrims, devotees and visitors including but not limited to provisions for appropriate and designated points for prasad distribution, improvement of access facilities for senior citizens and differently abled, potable water dispensers, resting benches and booths computerized access and queue management kiosks, setting up of Gaushalas, Annakshetras, Kitchens, rest and travel houses, hotels and serais, exhibition halls, food halls, waiting halls and such other structures, facilities or amenities deemed proper and fit from time to time;
- (v) to ensure the structural safety of the temple by means of consultation, survey, engagement of renowned archaeological experts, engineers, architects and institutions of repute and further engagement of historians and restoration agencies who can carry out repairs and restorations to ensure the preservation of the temple timelessly and for the benefit of the coming generations;
- (vi) to manage all the money, funds, valuables assets, deposits, jewelleries donations by whatever name called including but not limited to grants, subscriptions, contributions, hundi collection, daan, chadhawa, nazar, dakshina, offerings, gifts, presents and properties whether moveable or immoveable, present or in the future vested in the deity and/or the temple or being held in his name and/or for his or the temple's benefit by ensuring a proper bookkeeping and maintenance of records to ensure financial transparency and public confidence in management of the temple;
- (vii) to co-operate and co-ordinate with governmental agencies and local administration by itself and through an appointed board to ensure safety of the pilgrims and help maintain law and order and carry out development of surrounding area in a planned manner;
- (viii) to do all things as may be incidental and conducive to carry out the management, administration, and maintenance of the temple and convenience of the pilgrims.
- 5. (1) Appointment, Constitution and Term:-

Board of Trustees

- (i) The trustees of the Board of Trustees ("Board") shall be appointed by the State Government;
- (ii) There shall be two kinds of trustees in the Board, namely-nominated trustees and *ex-officio* trustees;
- (iii) The nominated trustees shall be a total of eleven (11) persons which will include: -
  - (a) three (3) eminent persons including seers, saints, gurus, scholars, mathadhishs, mahants, acharya, swamis from the Vaishnav traditions, orders or peethas;
  - (b) three (3) eminent persons including seers, saints, gurus, scholars, mathadhishs, mahants, acharyas, swamis from other traditions, orders or peethas of the Sanatan Dharma;
  - (c) three (3) persons of eminence from any walk of life including but not limited to scholars, educationists, academics, entrepreneurs, professionals and philanthropists from any branch or order of the Sanatan Dharma;
  - (d) two (2) members from the officiating Goswamis at the temple, being descendants of Swami Shri Haridas Ji, one representing the Raj Bhog Sewayats and one representing the Shayan bhog Sewayats, from the nominations received in this behalf;
- (iv) The *ex-officio* trustees shall not exceed seven (7) but shall include the following incumbents,namely: -
  - (a) District Magistrate, Mathura;
  - (b) Senior Superintendent of Police, Mathura;
  - (c) Municipal Commissioner, Mathura;
  - (d) Chief Executive Officer of the Uttar Pradesh Braj Teerth Vikas Parishad:

- (e) An officer of Dharmath Karya Vibhag, Government of Uttar Pradesh:
- (f) Chief Executive Officer of Shri Bankey Bihari Ji Temple Trust;
- (g) Such other member as appointed by the State Government by virtue of their considered expedient to be appointed for the objects of the trust.
- (v) The nominated trustees shall be appointed for a period of three years subject to their resignation or death, and no trustee can be appointed successively and that no trustee can be appointed for more than two times;
- (vi) The *ex-officio* trustees shall be trustees by virtue of their office and shall be members as long as they hold office;
- (vii) All trustees shall be Hindus and subscribe to the Santana Dharma. No person other than Hindu shall be appointed as a nominated trustee. In case of *ex-officio* trustees if a person does not belong to the Sanatan Dharma/does not identify as a Hindu or where a person identifies as a Hindu but expresses inability to discharge the office of a trustee on account of his personal beliefs, the person junior to the appointee shall be so appointed;
- (viii) No person who has been convicted of any crime under a court of law shall be appointed to the Board;
- (ix) No person shall be disqualified for appointment on account of his/her caste or gender;
- (x) Upon a vacancy due to death, resignation or otherwise, as and when a new member in the Board of Trustees has to be appointed, the new member shall be elected by other members of the Board of the trustees, by a majority.
- 6. (1) All nominated members of the Board shall have one (1) vote.
- (2) The *ex-officio* members of the Board shall not have any vote, but will be entitled to participate and express opinion in deliberations of the Board.
- (3) The quorum of the Board shall be not less than seven (7) members including at least five nominated members and two *ex-officio* members.
- (4) The Board shall meet once every three (3) months and at such other times and frequency as may be deemed necessary by the Board.
- (5) A notice of fifteen days, effective from the date of notification will be necessary for carrying out the meetings. However, an emergent meeting may be carried out dispensing any requirement of time in the manner so determined by the Board by means of rules.
- (6) All resolutions of the Board shall be carried out by a vote of simple majority unless required to be passed by a special majority in respect of certain subjects under this Ordinance.
- (7) The Board shall appoint in its first meeting and thereafter from time to time upon vacancy a Chairman, a General Secretary and a Treasurer and such office bearers and committees and sub-committees who shall hold such office till they cease to be a member of the Board or unless removed by a resolution of 2/3 members present and voting of at least half the total membership of the Board.
- (8) Any one or more trustee of the Board other than *ex-officio* trustees can be removed by a resolution of  $2/3^{\rm rd}$  members present and voting of at least half the total membership of the Board or by an order of the State Government after giving show cause and hearing.
- (9) Member (s) of the Board shall be accountable and answerable only for such monies, stocks, shares, securities and funds which actually come into his/their hands or in respect of the function delegated or discharged by them. The Trustee shall not be answerable or accountable for neglect, default, Acts or omissions or commissions of the other Trustees, or other person with whom the Trust properties or any securities may have been deposited or kept.
- (10) The Board or any member thereof shall not be held accountable on account of any decisions or function discharged in good faith.

Business of Board

7. (1) To carry out any one or more or all the of the objects as specified for which they are hereby deemed to have necessary powers. Without generality of the foregoing provision the Board shall, -

Function and Powers of the Board

- (a) have the right to carry out administrative, managerial, supervisory and all necessary powers to Act in the best interests, of Shri Bankey Bihari Ji and the temple and its devotees and visitors;
- (b) to manage the trust fund including accepting any receipts, authorize expenses and manage investments;
- (c) to authorize acceptance or receipt of any moveable and immoveable property in the name of the presiding deity, the temple and/or the trust;
- (d) to carry out investments or deposits in banks or financial instruments and securities or derivatives and secondaries and realise profits and earnings of them in the name and for the benefit of the presiding deity, the temple and/or the trust and designate authorized persons to operate them;
- (e) to accept or make payments, negotiate documents or claims, and issue receipts, discharges and setoffs;
- (f) to undertake secured loans, charges, encumbrances with prior sanction of the State Government;
- (g) to purchase, rent and take on lease property both moveable and immoveable to the extent of Twenty Lakh rupees (Rs.20,00,000/-) and where such amount exceeds Twenty Lakh (Rs.20,00,000/-) to do so with previous sanction of the State Government;
- (h) to institute, contest and defend litigations, arbitrations, disputes or any other proceedings of any other kind including against third parties and the Government authorities, appoint lawyers for advice or representation and the power to compound and settle any of the above;
- (i) appoint Chartered Accountants, Cost Analysts, financial advisors, company secretaries and accounting and audit firms;
- (j) determine and formalize the office, responsibilities and duties of the archaks, sewayats, and pujaris, determine their roster, qualifications and disqualifications, determine the payment of such emoluments and conferment of benefits as decided while being cognizant of section 4 (i) and (iii);
- (k) appoint such office bearers, employees whether permanent or temporary and determine their pay emoluments, compensation and terms of service; to work in close co-operation with Chief Executive Officer and the executive committee who shall discharge and carry out the instructions and resolutions of the Board;
- (l) to do all other Acts, deeds, matters and things which may be deemed necessary for carrying out the objects of the Trust and for its administration;
- (m) to delegate one or more functions necessary to carry out the objectives to the Chief Executive Officer, office bearer or any other person;
- (n) to frame rules for business of the Board, manner and method of discharging or exercising any power or function, or for any other matter connected to the administration and management of the temple or matters incidental thereto.
- (2) No third party right of any kind can be created in the deity and temple premises or jewelries of Shri Bankey Bihari Ji. The Board may grant approval to a proposal made by the Chief Executive Officer to sell, gift, exchange, alienate, give on rent or lease, hypothecation, bailment or create any third party right of any kind with respect to any other moveable or immoveable property of the deity, temple and the trust after obtaining prior sanction of the State Government.
- (3) The Board shall be indemnified against all losses and liabilities incurred by them in the execution of the trust. Any member of Board shall not be personally liable or responsible for any loss or expenses if the Act is done in good faith.
- (4) The Board shall not Act in any manner inconsistent with the objectives of the trust and no power can be read in excess of and in teeth of the provisions of the trust and with the law being in force.

Entitlements of the Board

- 8. (1) Any trustee shall not be entitled to any pay or salary on account of his appointment as a trustee but shall be entitled for reimbursement of expenses as specified in sub-sections (2) and (3) below.
- (2) The trustees shall be reimbursed for any expenses incurred for discharge of functions or the benefit of the trust subject consequent to ratification by the Board.
- (3) The trustees shall be paid a daily allowance, travelling allowance and allowance towards mess and lodging to attend the meetings or where travel is undertaken to represent the Board or carry out any functions of the Board.

Financial Matters and properties of the Trust

- 9. (1) Trust Properties and Funds:-
- (i) The entire trust properties and funds whether existent or received in future shall be deemed to be held in trust for Shri Bankey Bihari Ji, the principal deity of the temple (Trust Fund);
- (ii) The Trust properties shall include all the existent moveable and immoveable properties of the Shri Bankey Bihari Ji temple. Where any person makes a claim upon the deity, the temple or the land upon which the temple is made the trust shall have the right to determine the dispute by settlement or negotiation or by any other means permitted by law including litigation and arbitration and by making a request to carry out acquisition by the State Government;
- (iii) The jewelleries, utensils, clothes and valuables used for the sewa of Shri Bankey Bihari Ji;
- (iv) All the money, funds, valuables assets, deposits, jewelleries, donations by whatever name called including but not limited to grants, subscriptions, contributions, hundi collection, daan, chadhawa, nazar, dakshina, offerings, gifts, presents and properties whether moveable or immoveable, present or in the future vested in the deity and/or the temple or being held in his name and/or for his or the temple's benefit;
- (v) The Trust shall have one account but may have one or more sub-accounts for different purposes and functions;
- (vi) Any one or more property of the trust can be changed or varied to any other provided it is consistent with the provisions of this Ordinance.
- 10. (1) There shall be at least one permanent Chartered Accountant and Cost Accountant as a full-time employee of the trust.
- (2) The Trust shall maintain true and proper books of account of all the assets, liabilities and income and expenditure of the Trust and shall prepare an Income and Expenditure Account and Balance Sheet for every year as on the last day of March strictly in accordance with the applicable accounting standards and applicable tax laws which shall be mandatorily audited as referred hereunder.
- (3) The accounts of every year shall be audited by a Chartered Accountant of a firm of Chartered Accountants who shall be appointed for that purpose by the Board and the audited accounts shall be placed at a meeting of the Trustees, which shall be held before the end of the succeeding year and also signed by the Board.
- (4) Upon the discovery of any discrepancy in the accounts or upon complaint as regards any financial matter, the State Government shall also have an independent power to access books of accounts and carry out an audit either through the Office of the Comptroller and Auditor General of the State of Uttar Pradesh or an independent firm of repute as may be deemed fit and necessary.

Books of Account, Audit and Affixation of Financial Liability

- 11. (1) The Board shall in the first meeting of every financial year, devise and Budget approve a budget for the upcoming year.
- (2) The Budget shall also include provisions for the Chief Executive Officer and Executive Committee.
  - 12. (1) Appointment and Term of Chief Executive Officer:-
  - (i) The State Government shall appoint a full time Chief Executive Officer for the Trust:
  - (ii) The Chief Executive Officer so appointed shall be an officer of the State Government and be not less than the post or equivalent to ADM (Additional district magistrate);
  - (iii) The Chief Executive Officer shall be an *ex-officio* member of the Board and shall hold his office as Chief Executive Officer and member of the Board (as long as he hold his government office), unless removed by the Board or the State Government as per the provisions of this Ordinance.
  - (2) Allowances and other Conditions of Service:-
  - (i) The Chief Executive Officer shall not be entitled to any pay or salary on account of his appointment as a trustee or Chief Executive Officer but shall be entitled for reimbursement of expenses as well as an allowance to be determined by the State Government from time to time.
  - (3) Powers and Duties of the Chief Executive Officer:-
  - (i) The Chief Executive Officer shall be the principal Executive Officer of the Board, and shall Act and pass orders in accordance with the provisions of this Ordinance and the rules and regulations made thereunder;
  - (ii) The Chief Executive Officer shall, subject to the provisions of this Ordinance and the control of the Board, be responsible for the management and administration of the Trust's affairs and the Trust Fund;
  - (iii) The Chief Executive Officer, subject to and in accordance with the provisions of this Ordinance, shall: -
    - (a) carry out the decisions and directions of the Board;
    - (b) arrange for the proper collection of, maintenance and disposal of the religious offerings in the Temple and keep a full and proper account of the same;
    - (c) have custody of and make suitable arrangements for preservation and maintenance of all records, jewelleries, valuables, moneys, valuable securities and properties of the Temple and put them to proper use for the benefit of the Temple Deity, Temple and the Bhakts, as per the directions/decisions/orders the Board;
      - (d) record and maintain minutes of the proceedings of the Board;
    - (e) exercise control over the employees of the Trust as delegated by the Board;
    - (f) to do all such things as may be required for the performance of his or the Board's duties imposed by or under this Ordinance.
  - (4) Emergency Powers of the Chief Executive Officer:-
  - (i) The Chief Executive Officer, in case of any emergency requiring immediate and expedient intervention, may direct the execution of any work or doing of anything which is not provided for in the Budget for the year or not directed by the Board, which in the opinion of the Chief Executive Officer is immediately necessary for the preservation of the Temple or its endowments, or for the health, safety or convenience of the devotees/ pilgrims/bhakts/ worshippers of the Temple Deity or for the due performance of the worship, service, rituals, ceremonies or observances in the Temple and may further direct that the expenses of the execution of such work or doing of such thing shall be paid out of the Trust Fund;
  - (ii) Whenever the Chief Executive Officer takes any action under the above clause (1), the Chief Executive Officer shall forthwith report to the Board and Executive Committee the action taken together with a statement of reasons for such action and thereupon the Board shall take such action, after taking into account the recommendations of the Executive Committee as it deems fit.

Chief Executive Officer and Executive Committee Non-Interference of the State Government

- 13. (1) Non-abridgement of Religious and Pious Traditions of the Temple:-
- (i) The purpose of setting up the Trust is not to interfere or in any way affect the religious and cultural traditions of the temple by the State Government but rather to formalize and preserve them in perpetuity in view of fundamental rights of citizens under the Constitution;
- (ii) That the State Government shall subject to Article 19(1)(a) *read* with Article 19(1)(6), Article 25 and Article 26 (if Applicable) not interfere in any religious aspect of the temple affairs.
- (2) Purpose and Limited Nature of State Government:-
- (i) The purpose of the Trust is further not to take over the assets or the properties of the temple but to ensure that, since the same are constituted of donations and offerings of the public, financial transparency is maintained with respect to them and that the expenses are carried out in a most moral, responsible and accountable manner.

Autonomous Nature of the Trust

- 14. (1) The trust shall be an autonomous and independently acting body and will not require any previous sanction or authorization of the State Government in any matter unless specifically provided.
- (2) The purpose of appointing the *ex-officio* members of the Board is not to control but to ensure administrative alignment, practicality and constructive opinion to ensure the Board functions properly.
- (3) The trust is not a body with technical expertise or adept in public administration and as such the purpose of appointing a Chief Executive Officer and the Executive committee is to only ensure that any decisions of the Trust is carried out with co-ordination amongst the temple and public authorities in a legal, practical, expedient and efficient manner.
- (4) The trust is independent financially and the power of audit and pre sanction in respect of high value transactions and alienation has only been retained to maintain and ensure public confidence and ensure no mismanagement takes places as it is ultimately the money of the general public which is donated to the temple. The State shall not be entitled to borrow or take any funds from the Trust.

Amendment

15. The Board shall have the power to alter or amend the provision of the Trust without changing the Constitution of the Board, and such alterations or amendments shall not be inconsistent with the basic Structure of the Trust, the Objects of the Trust, as well as the provisions of the Income Tax Act, 1961 governing Charitable and Religious Trusts and all laws which may be applicable from time to time.

Power to remove difficulties

16. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance the State Government may, within a period of two years from the commencement of this Ordinance, make, by notified order, such provisions, not inconsistent with the provisions of this Ordinance, as appear to it necessary or expedient for removing the difficulty.

Power to make Rules 17. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purpose of this Ordinance.

Power to make Regulations

18. Subjects to the provisions of this Ordinance and the rules made there under the Board may make regulations for any matter relating to the conduct of its business or any other matter for which regulations may be made under this Ordinance.

> ANANDIBEN PATEL, Governor, Uttar Pradesh.

> By order, ATUL SRIVASTAVA, Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० ४६ राजपत्र-2025-(142)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० १ सा० विधायी-2025-(143)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।